आवेदन के लिए योग्यता प्रक्रिया

प्र एडब्ल्यूएचओ में एक आवास योजना के लिए आवेदन देने के लिए कौन योग्य है?

(क) **नियमित सेना कर्मचारी -** (1) आवेदन की स्वीकृति के समय नियमित अवधि / छोटी अवधि सेवा पर काम कर रहे सभी रैंक। (2) वो सभी रैंक जो सेवा के न्यूनतम 5 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं।

(ख) **नियमित सेना के चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधिकारी** जो वायु सेना चले गए हैं, आवेदन देने के योग्य हैं, यदि वो सेना अधिकारियों की परोपकारी निधि के सदस्य हों।

(ग) **सेना डाक सेवा -** सेना डाक सेवा के कर्मचारी, जिन्होंने सेना में कम से कम 10 वर्ष काम किया है या सेवा के कम से कम दस वर्षों बाद अभिभावक इकाई पर लौटे बिना सीधे सेना डाक सेवा से सेवानिवृित्त प्राप्त की है।

(घ) **क्षेत्रीय सेना -** केवल क्षेत्रीय सेना में मान्यता प्राप्त और कम से कम पिछले १० वर्षों में निरंतर रूप से संघटित अफसर। सेवानिव्रत अफसर या पीबीओआर (सर्विंग ध् सेवानिव्रत्त) आवेदन के योग्य नहीं हैं।

(ङ) **सर्विंग सेवानिवृत्त सेना कर्मचारियों की विधवाएं** जो सीडीए (पी) इलाहबाद से पेंशन प्राप्त कर रही हैं।

(च) एडब्ल्यूएचओ के कर्मचारी जिन्होंने संगठन को न्यूनतम 10 वर्ष सेवा दी है।

(छ) जानलेवा युद्ध घटनाओं के अविवाहित पीड़ित के अभिभावक।

प्र स्पॉट योजनाएं / वार्षिक पंजीकरण योजनाएं / माँग सर्वेक्षण क्या हैं? इन दोनों में क्या अंतर है? क्या आवेदन देने के लिए कोई विशेष प्रारूप है?

स्पॉट योजनाएं - नई योजनाएं प्रारंभ में एक सीमित अवधि (आमतौर पर 2-3 माह) के लिए खोली जाती हैं और इन्हें स्पॉट योजनाएं कहा जाता है। विशेष अवधि (समय का स्पॉट) के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों को एक स्तर पर रखा जाता है। वरिष्ठता तय करने के लिए एक संयुक्त कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ किया जाता है। आवेदन का प्रारूप।

वार्षिक पंजीकरण योजनाएं - एक स्पॉट योजनाओं की अंतिम तारीख बीत जाने पर वो योजना वार्षिक पंजीकरण योजना में परिवर्तित हो जाती है। वार्षिक पंजीकरण के तहत प्राप्त आवेदनों की वरिष्ठता को डिमांड ड्राफ्ट की तारीख के अनुसार तय किया जाता है। यदि सभी इकाइयाँ आवंटित हो जाती हैं तो आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है। स्पॉट / वार्षिक योजना के लिए आवेदन प्रारूप एक ही है।

माँग सर्वेक्षण योजनाएं - एक स्टेशन में एक परियोजना लेने की व्यावहारिकता की जाँच करने के लिए सर्वेक्षण किए जाते हैं। यदि प्रतिक्रिया अच्छी होती है, तो परियोजना को शुरू करने के लिए जमीण प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू किए जाते हैं। आवेदन प्रारूप

प्र हम एएच30 / मास्टर ब्रोशर आवेदन प्रपत्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

रजिस्टर्ड पोस्ट से आवेदन प्रपत्र के साथ मास्टर ब्रोशर प्राप्त करने के लिए डाक आदेश या डीडी से रू 100/- भेजें या परियोजना प्रबंधक के दफ्तर या एडब्ल्यूएचओ के नई दिल्ली मुख्यालय से - 50/- के नकद भुगतान पर स्थानीय रूप से प्राप्त करें। प्रपत्र को हमारी वेबसाइट ़़़ण्ंूीवेमदं.पद से डाउनलोड भी

किया जा सकता है, जिस स्थिति में मास्टर ब्रोशर के लिए अपने आवेदन को भेजते समय आवेदकों को डीमांड ड्राफ्ट / डाक आदेश से अतिरिक्त रू 100/- देने होंगे, जिसे बाद में भेज दिया जाएगा।

प्र आवेदन प्रपत्र के साथ कौन से सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता है और इसका विपरीत हस्ताक्षर प्राधिकार कौन है?

(क) सर्विंग अधिकारी / जेसीओ / ओआर - किसी समर्थन दस्तावेज की आवश्यकता नहीं। आवेदन प्रपत्र और तस्वीर पर कमांडिंग ऑफिसर के विपरीत हस्ताक्षर / अटेस्ट होने चाहिए। यदि ऑफिसर छुट्टी पर है तो वो इसे वहाँ उस उपस्थित इकाई / निदेशालय या स्टेशन / क्षेत्र एचक्यू या जिला सैनिक बोर्ड से करा सकते हैं जहाँ से छूट्टी प्राप्त की जा सकती है।

(ख) पेंशन ले रहे सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए पूर्व सर्विसमेन - पीपीओ की एक प्रति और सेवा में पाँच वर्ष पूरे कर चुके पेंशन ना प्राप्त करने वाले कर्मचारी - नियुक्ति / दाखिले की तारीख और पद छोड़ने की तारीख दिखाने वाला सेवा का रिकॉर्ड

(ग) जानलेवा युद्ध घटनाओं के शिकार सैनिकों की विधवाएं / अभिभावक / पीपीओ, मृत्यु प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण (यदि विधवा श्रेणी के लिए आवेदन दिया जा रहा है) और युद्ध मत्यु वापसी (जहाँ लागू हो)

सेवानिव्रत्त सैनिकों / विधवाओं / अभिभावकों के लिए, आवेदन प्रपत्र अटेस्ट / विपरीत हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार और समर्थन दस्तावेज स्टेशन /क्षेत्र एचक्यू और जिला सैनिक बोर्ड है या जिले के एसडीएम (जहाँ रह रहे हों द्वारा।)

प्र क्या पंजीकरण और आवेदन शुल्क के लिए एक स्थानीय / बहु द्दनगरीय चेक / नकद दिया जा सकता है? क्या ये राशि डीयू की लागत में सम्मिलित हो जाती है?

नहीं, पंजीकरण और आवेदन शुल्क केवल ‘एमडी एडब्ल्यूएचओ’ के पक्ष में नई दिल्ली में देय डीमांड ड्राफ्ट के रूप में ही अदा किया जाना चाहिए। राशि को एनईएफटी / आरटीजीएस द्वारा भी भेजी जा सकती है। लेनदेन का विवरण आवेदन के साथ भेजा जाना चाहिए। डीयू की लागत में पंजीकरण शुल्क और भूमि लागत शामिल होती है।

प्र क्या मैं डाक / कुरियर के माध्यम से आवेदन भेज सकता हूँ?

आवेदकों को आवेदन कुरियर से नहीं बल्कि पंजीकृत / स्पीड पोस्ट से भेजने की सलाह दी जाती है क्योंकि कुरियर सेवा कर्मचारियों को कश्मीर हाउस परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

प्र यदि पति और पत्नी दोनों एडब्ल्यूएचओ योजना के लिए योग्य हों तो?

जहाँ दोनों योग्य हैं, वहाँ उनमें से एक ही आवेदन दे सकता है।

प्र एक व्यक्ति कितनी योजनाओं में आवेदन दे सकता है?

एक आवेदक अधिकतम दो समरूपी योजनाओं में आवेदन दे सकता है। प्रत्येक परियोजना के अनुसार पंजीकरण राशि के साथ अलग आवेदन दिए जाने चाहिए।

प्र क्या एडब्ल्यूएचओ के आवंटिती नई योजनाओं में आवेदन देने के योग्य हैं?

एडब्ल्यूएचओ के आवंटिती उन स्टेशनों में ही आवेदन दे सकते हैं जहाँ दूसरे डीयू के लिए पंजीकरण खुला है।

प्र क्या एक व्यक्ति एक से अधिक माँग सर्वेक्षणों में आवेदन दे सकता है?

हाँ, पर उसे प्रत्येक स्टेशन के लिए रू 10,000/- प्रत्येक सर्वेक्षण के एक ड्राफ्ट के साथ अलग आवेदन देने होंगे।

प्र यदि एक व्यक्ति माँग सर्वेक्षण में आवेदन देता है तो क्या उसे पंजीकरण राशि पर ब्याज दिया जाएगा?

पंजीकरण राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। परंतु, यदि एक पंजीकृत व्यक्ति समय से पहले, यानी आवेदन की रसीद से 3 वर्ष की अवधि से पहले, राशि निकाल लेता है तो 2 प्रतिशत हैंडलिंग शुल्क काटा जाएगा।

प्र यदि एक व्यक्ति प्रतीक्षा सूची स्टेशन में आवेदन देता है, तो उसे आवंटन मिलने की कोई संभावना है?

आवंटन वरिष्ठता के आधार पर, कोई निकासी / निरसन होने पर होगा।

प्र क्या कोई व्यक्ति चयन स्टेशन या डीयू के प्रकार को बदल सकता है? क्या वरिष्ठता को आगे ले जाया जाएगा?

बुकिंग पत्र के जारी होने से पहले स्टेशन और आवास इकाई के प्रकार में पूरे वर्ष में कभी भी बदलाव किया जा सकता है। पहले बदलाव के बाद, दूसरा बदलाव पहले बदलाव के छः महीने बाद ही किया जा सकता है। नई वरिष्ठता दी जाएगी जो कि निवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख पर तय होगी।

प्र क्या एक व्यक्ति आवासीय इकाई को अपग्रेड / डाउनग्रेड कर सकता है और उसकी वरिष्ठता क्या होगी?

एक ही स्टेशन में आवासीय इकाई का अपग्रेड पूरे वर्ष किया जा सकता है।

(1) निचले डीयू में पुष्टि प्राप्त श्रेणी से एक उच्चतर डीयू में पुष्टि प्राप्त आवंटन।

(2) निचले डीयू में प्रतीक्षा सूची की श्रेणी से उच्चतर डीयू में पुष्टि प्राप्त आवंटन।

(3) निचले डीयू में प्रतीक्षा सूची की श्रेणी से उच्चतर डीयू में प्रतीक्षा सूची तक।

बदलाव के लिए वरिष्ठता की तारीख आवेदन की प्राप्ति की तारीख होगी।

प्र यदि पंजीकृत व्यक्ति बुकिंग पत्र के जारी होने से पहले / बाद अवधि से पहले निकासी करना चाहता हो तो?

बुकिंग पत्र के जारी होने से पहले - एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी समय अवधि से पहले निकासी कर सकता है। पंजीकरण शुल्क से हैंडलिंग शुल्क के रूप में 2 प्रतिशत काटे जाएंगे।

यदि निकासी पंजीकरण के एक वर्ष के भीतर की जाती है तो पंजीकरण राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

बुकिंग पत्र के जारी होने के बाद - आवंटिती निम्नलिखित दरों के अनुसार राशि के जब्त होने के लिए उत्तरदाई होगाः-

(1) एसएफए, एमडीए और समतुल्य (1/2 बीएचके) - रू 10,000/-

(2) डीएक्सए, ईए और एसडीए (3 बीएचके) - रू 20,000/-

(3) एलएक्सए / डीए, पेंटहाउस और डीएसयू - रू 25,000/-

(4 बीएचके और अधिक)

प्र क्या हम किसी विकलांगता से ग्रस्त आवंटिती को किसी विशेष मजिल पर आवंटन के लिए प्रार्थना देते हैं?

हम विकलांगता से ग्रस्त होने, चिकित्सीय कारणों से और वृद्ध माता पिता के आधार पर किसी आवंटिती को कोई प्राथमिकता नहीं देते। परंतु, केवल उस आवंटिती को प्राथमिकता दी जाती है जिसे युद्ध में लगी चोट के कारण 100 प्रतिशत विकलांगता हुई हो।

प्र पते / रैंक में बदलाव के लिए क्या किया जाना चाहिए?

पंजीकृत व्यक्तियों से पते / रैंक में बदलाव के लिए एक सरल आवेदन लिखने का अनुरोध किया जाता है ताकि आवेदन को रिकॉर्ड के रूप में प्रासंगिक फाइल में रखा जा सके।

प्र एनओके के पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु पर पंजीकरण को कैसे बदला जा सकता है?

पंजीक्रत व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में एनओके को आवासीय इकाई या कानूनी उसके नाम को हुए आवंटन के पंजीकरण में परिवर्तन के लिए आवश्यक कानूनी दस्तावेजों के साथ एडब्ल्यूएचओ को संपर्क करना चाहिए।

प्र यदि किस्तों का भुगतान तय तारीख तक नहीं किया जाता तो एडब्ल्यूएचओ कितना ब्याज लेगी?

यदि तय तारीख तक किसी किस्त का भुगतान नहीं किया जाता है तो देरी की अवधि के लिए 10 प्रतिशत प्रति वर्ष (वर्तमान में लागू) ब्याज लिया जाएगा।

प्र यदि किस्त का भुगतान तय तारीख या उससे पहले किया जाता है तो कितनी छूट दी जाती है?

यदि भुगतान तय तारीख पर या उससे पहले कर दिया जाता है तो किस्त की राशि पर 1 प्रतिशत की छुट दी जाती है। यदि पूरा भुगतान यानि आवासीय इकाई की पूरी कीमत का भुगतान बुकिंग पत्र के 80 दिनों के भीतर कर दिया जाता है तो 4 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पहली किस्त का भुगतान और डीयू की कुल शेष राशि का भुगतान बुकिंग पत्र के जारी होने के 150 दिनों के भीतर करने वालों को 3 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

प्र नाम वापस लिए जाने पर अदा किए गए पंजीकरण डिपॉजिट / किस्त की राशि को वापस दिए जाने में कितना समय लगेगा?

(क) बुकिंक पत्र के जारी होने से पहले - 6 से 8 सप्ताह

(ख) बुकिंग पत्र के जारी होने के बाद   - 6 महीनों में

प्र यदि आवंटिती रसीद (किस्त का भुगतान, आदि) की असली प्रति खो देता है या उसे प्राप्त नहीं होती तो वो उसकी दूसरी प्रति कैसे प्राप्त कर सकता है?

रसीद की दूसरी प्रति आवंटिती से एक लिखित निवेदन प्राप्त होने के बाद ही सदस्यों को भेजी जाती है।

प्र क्या एडब्ल्यूएचओ द्वारा आवंटित डीयू को बेचा जा सकता है? यदि हाँ, तो किसे?

(क) एक कार्यरत आवंटिती को आवासीय इकाई में आधिपत्य की तारीख से तीन वर्ष बाद उसे बेचने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते डीयू स्थानीय प्राधिकारी में पंजीकृत हो, यानी वाहन अनुबंध लागू है। परंतु, एक सेवानिवृत्त आवंटिती को आधिपत्य मिलने की तारीख या उसकी सेवानिव्रत्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, के एक साल बाद उसकी आवासीय इकाई को बेचने की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) एक आवंटिती की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, मृत आवंटिती के उत्तराधिकारियों द्वारा आवासीय इकाई की बिक्री पर कोई समय प्रतिबंध नहीं होगा।

डीयू की बिक्री स्थानांतरण के लिए पहले से लिखित अनुमति अनिवार्य है।

प्र कर्ज लेने के लिए एडब्ल्यूएचओ को आवंटिती से कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है?

यदि कर्ज एजीज ध् एजीआईएफ के अलावा किसी अन्य एजेंसी से लिया जा रहा है, तो आवंटिती को कर्ज देने वाली एजेंसी का पूर्व-आवंटन पत्र और संपत्ति को गिरवी रखने के लिए एनओसी के लिए निवेदन पत्र प्रदान करना होगा। यदि बैंक को त्रिकोणीय अनुबंध चाहिए, तो उसे एक स्टैंप पेपर पर टाइप किया जाना चाहिए। त्रिकोणीय अनुबंध का प्रारूप इस प्रकार होना चाहिएः-

(क) एजी की शाखा से एचबीए - एजी की शाखा के प्रारूप के अनुसार

(ख) एजीआईएफ से एचबीए - एजीआईएफ के प्रारूप के अनुसार

(गा) किसी अन्य एजेंसी से कर्ज - एडब्ल्यूएचओ के प्रारूप के अनुसार, जो कि वेबसाइट पर दिया गया है।